न्यायालय जिला कलेक्टर,टोंक

(सुबे सिंह यादव,आई0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 98/2017
प्रविष्टि दिनांक 07.11.2017

गुलशेर पुत्र अल्लाबेली जाति मुसलमान निवासी उनियारा तहसील उनियारा जिला टोंक राज0

–अपीलान्ट

बनाम

तहसीलदार उनियारा जिला–टोंक राजस्थान

–रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 रा0ले0रे0एक्ट विरूद्ध निर्णय न्यायालय तहसीलदार उनियारा दिनांक 21.04.2016. धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति : (1) श्री विक्रम जैन, अभिभाषक अपीलान्ट
(2) श्री जुगनु शर्मा, राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेण्ट

निर्णय **दिनांक 29.11.2017**

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार उनियारा ने अपने आदेश दिनांक 21.04.2016 के द्वारा अपीलान्ट को भूमि साबिक खसरा नम्बर 1156 हाल 1256 रकबा 0.59 है0 किस्म गै0मु0 रास्ता वाके ग्राम उनियारा पर अतिक्रमण मानकर शास्ति कायम कर भूमि से बेदखल किये जाने पर अपीलान्ट ने तहसीलदार उनियारा के उक्त आदेश से व्यथित होकर आदेश को खिलाफ कानून बताते हुए निरस्त किये जाने हेतु अपील प्रस्तुत की है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एंव तलबी रेस्पोडेण्ट जरिए सम्मन की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रकरण में अभिभाषक अपीलान्ट एंव राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने दोराने बहस अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट ने किसी भी रास्तें की भूमि पर कोई अतिक्रमण नही कर रखा है। अपीलांट अपना पट्टेशुद्वा भूमि पर काबिज है,उक्त पट्टा नगर पालिका उनियारा द्वारा नियमानुसार पट्टा शुल्क प्राप्त कर पट्टा क्रमांक 4138 दिनांक 02.09.2013 से जारी किया है जो उप पंजीयक उनियारा द्वारा पंजीबद्व किया गया है। पट्टे की सीमाये पूर्व मे आम रास्ता,पश्चिम मे प्लाट नं0 16 व 17,उत्तर मे अन्य भूमि तथा दक्षिण मे प्लाट नं0 23 स्थित है। पट्टे की पेमाइश पूर्व–पश्चिम 65 फीट,उत्तर–दक्षिण 44 फीट है। पटवारी हल्का द्वारा वर्ष 2012 मे सीमाज्ञान किया था,उक्त सीमाज्ञान मे तत्तकालीन पटवारी ने अपीलांट का कोई अतिक्रमण नही माना था। दिनांक 24.01.2012 को किये गये सीमाज्ञान मे मौके पर रास्ता दिखया गया तथा मौके पर रास्ते की मेड कायम की गई है। उक्त भूमि के चारो और आबादी बसी हुई है जो नगर पालिका क्षेत्र उनियारा मे होने से कार्यवाही करने का क्षैत्राधिकार नगर पालिका उनियारा को है तहसीलदार को नही है।

जिला कलेक्टर
टोंक

अपीलांट को सुनवाई का अवसर नही दिया गया है। अपीलांट द्वारा कोई अतिक्रमण नही किया हैं। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक की बहस का जवाब देते हुए राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि सम्मन पर अपीलाण्ट की विधिवत तामिल हुई है। अतिक्रमी अधीनस्थ न्यायालय मे उपस्थित होकर जवाब पेश किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट को पूर्ण सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया है। अतिक्रमी द्वारा गै0मु0 रास्ते पर अतिक्रमण करने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बेदखली का आदेश पारित किया गया है। गै0मु0 रास्ता सार्वजनिक उपयोग की भूमि है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही एंव उचित है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज योग्य है।

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट एंव राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया एंव अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन करने से विदित होंता है कि अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सम्मन जारी कर सुनवाई का अवसर दिया गया है। अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होकर जवाब पेश किया हैं। अपीलान्ट द्वारा ग्राम उनियारा के खसरा नम्बर 1256 रकबा 0.59 है0 किस्म गै0मु0 रास्ता भूमि पर पुख्ता दीवार बनाकर कब्जा कर अतिक्रमण किया है। विवादित ख0नं0 1256 रकबा 0.59 है0 वाके ग्राम उनियारा नामान्तकरण संख्या 1827 दिनांक 04.10.2013 से नगर पालिका उनियारा के नाम स्वीकार हुआ है। इससे यह सिद्व है कि विवादित भूमि नगर पालिका उनियारा क्षेत्र मे स्थिति है। नगर पालिका उनियारा की भूमि पर कार्यवाही करने का क्षैत्राधिकार तहसीलदार को ना होकर नगर पालिका उनियारा को है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मे हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत होता है।

फलतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर तहसीलदार उनियारा का निर्णय दिनांक 21.04.2016 निरस्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 29.11.2017को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुबे सिंह यादव)
जिला कलेक्टर, टोक

जिला कलेक्टर
टोंक